

# सर्किल रेट लिस्ट


( सम्पत्ति का मूल्यांकन )


जनपद पौड़ी गढवाल ।

दि० 01.04.2012 से दि० 31.10.2013 तक प्रभावी

## तहसील पौड़ी/थैलीसैण (आंशिक) जनपद पौड़ी गढ़वाल।


भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII(9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी तथा तहसील थैलीसैण (आंशिक) हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-253/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक प्रभावी होंगी। इस सर्किल रेट का सम्पूर्ण विवरण एन0आई0सी0 पौड़ी की वेबसाईट [pauri.nic.in](http://pauri.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी/  
जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।

  
( एम0 सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

॥ कार्यालय कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ॥

- पत्रांक 1023/5-2-स्टाम्प/2011-13, दिनांक, पौड़ी, मार्च, 31, 2012  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  3. जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
  4. उप जिलाधिकारी पौड़ी/थैलीसैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
  5. उप निबन्धक, पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
  6. तहसीलदार पौड़ी/थैलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
  7. कार्यालय प्रति।

  
( एम0सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

49  
12/9/12

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून 2011, शासन के पत्र संख्या-682/2011/XXVII (9)/स्टाम्प 80/2009, दिनांक 01 नवम्बर 2011 क कम में महा निरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1018/म0नि0/2011-12 दिनांक 09 मार्च 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी तथा तहसील थैलीसैण (आंशिक) हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-253/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुरनीक्षित की जाती हैं। जो शासनादेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।

### तहसील पौड़ी।

#### 1-नगर पालिका परिषद क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 51 से 100 मी० तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 101 से 200 मी० तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 201 से 400 मी तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क 400 मी से अधिक की भूमि (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायसिक दर (प्रति वर्ग मीटर)	रेस्टोरेंट/ कार्यालय/ दुकान (प्रति वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
1	कोटद्वार मार्ग पर चोपडा गधेरे से मालरोड होते हुये नये बस स्टेशन तक	1891	1512	1267	619	95	1891	69	63	63	62
2	बस स्टेशन से धारारोड कचहरी अपर बाजार होते हुये एजेन्सी तक	1891	1512	1267	619	95	1891	69	61	63	62
3	धारारोड के समस्त/निचला बाजार डाकघर के पीछे वाली सड़क सहित जेल गधेरे तक	1891	1512	1267	619	95	1891	69	63	63	62
4	स्टेशन से श्रीनगर रोड पर चोपडा गधेरे तक	1891	1512	1267	619	95	1891	69	63	63	62
5	एजेन्सी से कण्डोलिया रोड पर कण्डोलिया बाजार तक	1891	1512	1267	619	95	1891	69	63	63	62
6	कोटद्वार मार्ग पर चोपडा गधेरे से गल्ला गोदाम गधेरे तक	1512	1210	815	416	91	1512	69	63	63	62
7	चोपडा गधेरे से प्रेमनगर द्वार तक	1512	1210	815	416	91	1512	69	63	63	62
8	नये बस स्टेशन से देवप्रयाग मार्ग नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	1512	1210	815	416	91	1512	69	63	63	62
9	कण्डोलिया मैदान से डिग्री कालेज/विकास कार्यालय वाली सड़क तक	1512	1210	815	416	91	1512	69	63	63	62
10	एजेन्सी से उप जिलाधिकारी निवास वाली जीप रोड तक	1512	1210	815	416	91	1512	69	63	63	62
11	बुबाखाल से माण्डाखाल की आखरी सीमा पाबौ खिसू रोड तक	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62

(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।

12	बुबाखाल से कण्डोलिया मोटर मार्ग	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62
13	रांसी से क्यूकालेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62
14	कण्डोलिया से सर्किट हाउस मोटर मार्ग	801	618	399	308	78	801	52	45	45	44

### 2-नगर पालिका परिषद क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत की दरें व ग्रामीण क्षेत्र

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 51 से 100 मी० तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 101 से 200 मी तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 201 से 400 मी तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क 400 मी से अधिक की भूमि (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायिक दर (प्रति वर्ग मीटर)	रेस्टोरेंट/ कार्यालय/ दुकान (प्रति वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल प्रम्य	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
1	प्रेमनगर द्वार से गडोली नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62
2	पौडी त्वाली मोटर मार्ग पर नगर पालिका की आखरी सीमा तक	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62
3	जेल गधेरे से च्चीचा गांव नरसिंह धारा पैदल मार्ग नगर पालिका सीमान्तर्गत	801	618	399	308	78	801	69	63	63	62
4	बुबाखाल के निकट से पौडी-श्रीनगर बाईपास (गडोली बाईपास) मोटर मार्ग	498	358	211	140	71	498	69	63	63	62
5	सत्यखाल जीप मार्ग नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत	498	358	211	140	71	498	69	63	63	62
6	गल्ला गोदाम गधेरे से बुबाखाल बाजार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	1310	1092	700	351	78	1310	69	63	63	62
7	ग्राम धुनारी लगा खेडा, वाह बाजार अधिसूचित क्षेत्र	862	773	491	392	211	862	52	45	45	44

### 3-विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए						असिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			मोटर मार्ग पर दोनो ओर 100 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 101 से 200 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 201 से 400 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	व्यवसायिक (दर प्रति वर्ग मी०)	दुकान (प्रति वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (किराये की दर प्र०व०मी०)		
		मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक	मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक	होटल	अस्पताल	गोदाम बारात घर								
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)						निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)

(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
पौडी गढ़वाल।

क	धुडदौडी इंजीनियरिंग कालेज की सीमा से सटे ग्राम वजली, पाबौ धुडदौडी, कदूड, त्वाली लग्गा भेंटा, त्वाली, पाबौ, कल्जीखाल, अगरोडा,	2548000	1750000	672000	2100000	1344000	593600	320	235	96	320	24	18	17	18
ख	सड़क के दोनो ओर की भूमि विशिष्ट ग्राम बारहस्यू तहसील पौडी-डोभ श्रीकोट, बुबाखाल, नगर पालिका छोडकर मासौ, डांडापानी, खोलाचौरी, कोट महादेव, टेका कांसखेत घण्डियाल वनेख, अदवाणी नाहसैण बगानीखाल, बहेडाखाल, कल्जीखाल, मुण्डेनेश्वर भेटी, उडुवादेवी, फिरोजपुर, गडखेत, बाघाट बाडियू व्यासघाट, धोडीखाल, परसुण्डाखाल, पैडुल, जखेटी, ज्वाल्पासेरा, सबदरखाल, धण्डियाल, सीकूखाल, पोखरीखेत, सडक से दोनो ओर की भूमि व विशिष्ट ग्राम परगना देवलगढ, चोपडिय,चिपलघाट, चपलोडी, सैजी, नोटा, ताल चम्पेश्वर मोटर मार्ग पर सडक के दोनो ओर की भूमि	2444750	1691250	649000	2029500	1298000	577500	315	231	95	320	24	18	17	18

#### 4-मोटर मार्ग पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र

क्र०सं०	क्षेत्र	सिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			असिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			मोटर मार्ग पर दोनो ओर 100 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 101 से 200 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 201 मी० से 400 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मी०	दुकान प्रति वर्ग मी० किराये की दर	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर		
		मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक	मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक						होटल	अस्पताल	गोदाम बारात घर
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)						निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
1	तहसील पौडी के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामों को छोडकर समस्त मोटर मार्गों की भूमि	2361960	1231200	637200	1944000	1036800	561600	259	130	84	280	24	18	17	18
2	तहसील पौडी के अन्तर्गत सम्पर्क/जीप लिंक मार्ग	1166400	565110	559440	869400	558900	421200	143	76	68	148	24	18	17	18

( राजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी  
पौडी गढवाल।

5-ग्रामीण क्षेत्र

क्र०सं०	क्षेत्र/राजस्व ग्राम का नाम	सिंचित दर प्रति हे०	असिंचित दर प्रति हे०	आवासीय दर (प्रति वर्गमीटर)	व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/ कार्यालय/ दुकान (प्रति वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
1	तहसील पौड़ी के अन्तर्गत अन्य समस्त राजस्व ग्राम	553500	351000	59	67	23	18	18	17

तहसील थैलीसैण

1-तहसील थैलीसैण के विशिष्ट ग्रामों हेत भूमि की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			असिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			मोटर मार्ग पर दोनो ओर 100 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 101 से 200 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 201 मी० से 400 मी० के अन्तर्गत आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०	व्यवसायिक (दर प्रति वर्ग मी०)	दुकान प्रति वर्ग मी० किराये की दर	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर		
		मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक	मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक						होटल	अस्पताल	गोदाम बारात घर
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)						निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
क	पैठाणी, पैठाणी बाजार की सीमा से सटे ग्राम सेरा बासकोट, बहेडी लगा सिलखोला, सिलोली, डांग लगा भटकोट सडक के दोनो ओर की भूमि	2406250	1650000	649000	1980000	1265000	577500	303	231	99	308	24	18	17	18
ख	तरपालीसैण, भटकोट, बांजकोट, (चाकीसैण) कपरोली मोटर मार्ग पर सडक के दोनो ओर की भूमि	2310000	1622500	643500	1947000	1265000	574200	297	220	94	302	24	18	17	18


( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।

**2-मोटर मार्ग पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र**

क्र०सं०	क्षेत्र	सिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			असिंचित दर प्रति हे० 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए			मोटर मार्ग पर दोनो ओर 100 मी० के अन्तर्गत (आवासीय दर प्रति वर्ग०मी०)	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 101 से 200 मी० के अन्तर्गत (आवासीय दर प्रति वर्ग० मी०)	मोटर मार्ग पर दोनो ओर 201 मी० से 400 मी० के अन्तर्गत (आवासीय दर प्रति वर्ग०मी०)	व्यवसायिक दर (प्रति वर्ग मी०)	दुकान प्रति (वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (किराये की दर प्र०व०मी०)		
		मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक	मोटर मार्ग के दोनो ओर 100 मी० तक	मोटर मार्ग से 101 से 200 मी० तक	मोटर मार्ग से 201 मी० से 400 मी० तक						होटल	अस्पताल	गोदाम बारात घर
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)						निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
1	तहसील थलीसैण के अन्तर्गत ग्राम कैन्चूर सड़क से दोनो की ओर भूमि	3080000	2035000	1155000	2420000	1815000	880000	374	253	127	381	24	18	17	18
2	तहसील थलीसैण के उप निबन्धक पौडी के क्षेत्रान्तर्गत मोटर मार्ग पर पड़ने वाली भूमि	1897500	1138500	643500	1644500	885500	572000	237	127	95	246	24	18	17	18
3	तहसील थलीसैण के उप निबन्धक क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क जीप मार्ग और मोटर मार्ग	1138500	632500	627000	885500	568700	429000	132	77	66	134	24	18	17	18

**3-ग्रामीण क्षेत्र**

क्र०सं०	क्षेत्र/राजस्व ग्राम का नाम	सिंचित दर प्रति हे०	असिंचित दर प्रति हे०	आवासीय दर यदि हो तो प्रति वर्गमीटर	व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/ कार्यालय/ दुकान (प्रति वर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
							गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
							निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
2	तहसील थलीसैण के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्राम जो कि उप निबन्धक पौडी क्षेत्र के अन्तर्गत है।	604800	351000	59	67	23	18	18	17

  
 (अनूप कुमार)  
 अपर जिलाधिकारी  
 पौडी गढ़वाल।

### महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस सूची में वर्णित किसी भी क्षेत्र के सड़क पर पड़ने वाले किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क की दरें ही प्रभावी होंगी।
2. एक हजार वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण पर अकृषित भूमि की दरें लागू होंगी। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर कृषि उद्देश्य से कय की गयी भूमि के अन्तरण पर ही कृषि की हेक्टेयर दरें लागू होंगी।
3. सड़क/रास्ता का तात्पर्य 15 फीट या उससे चौड़ी सड़क/रास्ता से है।
4. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क/रास्ता की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
5. खसरा नम्बरों की सड़क से दूरी का विवरण सर्किल रेट सूची में अन्त में दिया गया है तथा सूची में सड़क से दर्शायी गयी खसरा नम्बरों/खेतों की दूरी के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा।
6. भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने तथ्य:-

#### (क) भूमि की स्थिति में:-

- (अ) भूमि का वर्गीकरण।
- (आ) सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता।
- (इ) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी।
- (ई) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति।

#### (ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-

- (अ) भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत।
- (आ) मजदूरी प्रभार।
- (इ) निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य हास।

#### (ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-

- (अ) परिक्षेत्र में विद्यमान किराया।
- (आ) परिक्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप।

#### 7. गैर वाणिज्यिक भवनों की दर निम्नवत् होगी:-

- (i) उत्तम श्रेणी (ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स वाले भवन) । रू0 7200.00 प्रति वर्ग मीटर।
- (ii) साधारण श्रेणी । रू0 6690.00 प्रति वर्ग मीटर।
- (iii) पठाल ( मिटटी, पत्थर से चुने दीवार वाले भवन, टीनपोश वाले आवासीय भवन रू0 4600.00 प्रति वर्ग मीटर।
- (iv) टीनपोश (गैर वाणिज्यिक एवं अनावासीय) गौशाला रू0 3450.00 प्रति वर्ग मीटर।

8. बहुमंजिला आवासीय भवनों जो कि फ्लैट्स ऐक्ट, 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं में निर्माण की दरें 9000.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

( संजय कुमार )  
आयु जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।



9. बहुमंजिला आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की छूट होगी।

10- भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन करना होगा तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (1) स्वीकृत मानचित्रकार/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।
- (2) भूखण्ड का क्षेत्रफल।
- (3) निर्माण का प्रकार व वर्ष।
- (4) निर्मित क्षेत्रफल।

11 टीन पोश, गौशाला, पठालू में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों तक मान्य होगा।

12 बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40% 50% तथा 60% की छूट होगी।

13 बहुखण्डीय व्यापारिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर क्रमशः 10% 20 % तथा 30 % की छूट होगी।

14 बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होगी तथा लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईज फ्लोर पर भूतल के समान/निर्धारित दरें लागू होगी।

15 व्यापारिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X 300+ भूखण्ड का सर्किल दर से व्यवसायिक मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।

16 शासनादेश के अनुरूप विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वांछित धोषणा पत्र/प्रपत्र पक्षकार द्वारा दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।

17 मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये, उन भवनों से है जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है।

18 कृषि भूमि की असिंचित दरें 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि (हैक्टेयर दरों) पर लागू होगी।

19 यदि कोई भूमि दो या दो से अधिक मार्गों के मध्य स्थित हो तो ऐसी दशा में जिस मार्ग का मूल्य अधिक होगा उसी के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।

20 किसी विशिष्ट प्रयोजन/संस्था/औद्योगिक संस्था/समिति/कम्पनी आदि हेतु उस क्षेत्र की प्रचलित दर के अनुसार ही स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क देय होगा।

21 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुपालन में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पक्षकारों से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या किसी लोक अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अभिलेख को मांग सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है।


22 सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।

23 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर-वाणिज्यिक (Depreciation) भवनों में क्षरण संलग्न इंडेक्स के अनुसार होगा।

24. वाणिज्यिक भवनों से तात्पर्य है:- (i) दुकान (ii) रेस्टोरेंट (iii) कार्यालय (iv) गोदाम (v) होटल (vi) गेस्ट हाउस (vii) बारात घर (viii) सिनेमा हाल (ix) पेट्रोप पम्प (x) अस्पताल (xi) साइबर कैफे (xii) फैक्ट्री (xiii) व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो।

25. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर वाणिज्यिक भवनों में क्षरण (Depreciation) निम्नानुसार इंडेक्स के अनुसार होगा:-

$$\text{निर्माण मूल्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित सूत्र } D=P \left( \frac{100 - RD}{100} \right)^N$$

  
(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।


RD-भवन की औसत आयु, D हास मूल्य (Depreciated Value, P वर्तमान मूल्य, N-कितने वर्ष पुराना

1 Yrs	0.990	26	0.770	51	0.598	76	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

नोट- क्षरण की उक्त सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानकर किया गया है।


स्थान पौड़ी


दिनांक 31.03.2012

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।

## तहसील कोटद्वार, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII(9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार तथा तहसील यमकेश्वर हेतु पूर्व में जारी किये गये संकिल रेट आदेश संख्या-254/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक प्रभावी होंगी। इस संकिल रेट का सम्पूर्ण विवरण एन0आई0सी0 पौड़ी की वेबसाईट [pauri.nic.in](http://pauri.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी/  
जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल ।


  
( एम0सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ।

॥ कार्यालय कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्राक 1028 /5-2-स्टाम्प/2011-13, दिनांक, पौड़ी, मार्च, 31, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
4. उप जिलाधिकारी कोटद्वार/यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. उप निबन्धक, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
6. तहसीलदार कोटद्वार/यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
7. कार्यालय प्रति।

  
( एम0सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून 2011, शासन के पत्र संख्या-682/2011/XXVII (9)/स्टाम्प 80/2009, दिनांक 01 नवम्बर 2011 के क्रम में महा निरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1018/म0नि0/2011-12 दिनांक 09 मार्च 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल के उप निबन्धक कार्यालय कोटद्वार क्षेत्र के अन्तर्गत, तहसील कोटद्वार एवं यमकेश्वर हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-254/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर 2011 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। जो शासनादेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।

### तहसील कोटद्वार

#### 1-शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद कोटद्वार की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर से आगे वाली आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायिक दर (प्रतिवर्ग मी०)	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
1	लाल पुल से टाटा के समीप जी०एम०ओ०यू०लि० के पेट्रोल पम्प तक	4032	2912	4872	84	77	72	70
2	जी०एम०ओ० के पेट्रोल पम्प से तहसील गेट तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
3	तहसील गेट से झण्डाचौक तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
4	झण्डाचौक से गोखले मार्ग	4480	3864	5684	90	83	77	70
5	झण्डाचौक से नजीबाबाद चौरहा	4480	3864	5684	90	83	77	70
6	झण्डाचौक से स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
7	रेलवे स्टेशन से नजीबाबाद चौरहा	4480	3864	5684	90	83	77	70
8	झण्डाचौक से दीपटाकिज के गधरे तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
9	नजीबाबाद चौरहा से माहेश्वरी पेट्रोल पम्प तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
10	झण्डाचौक से गंगादत्त जोशी मार्ग एवं गैरेज मार्ग के तिराहे तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
11	गैरेज मार्ग के तिराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग तक	4480	3864	5684	90	83	77	70
12	नगर पालिका सीमान्तर्गत शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली अन्य भूमि	4480	3864	5684	90	83	77	70

#### 2-नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत सम्मिलित राजस्व ग्रामों की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रु० में)		1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यवसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)			निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।


1	जौनपुर, कालाबड, काशीरामपुर	275	272	3372	2932	3920	81	74	68	67
2	नयागांव,	257	254	3094	2706	3651	81	74	68	67
3	गाड़ीघाट चक नम्बर I & II पनियाली तल्ली	253	251	2822	2646	3192	69	68	68	67

### 3-शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद दुगडडा की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 50 मीटर से आगे वाली आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायिक दर (प्रतिवर्ग मी०)	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
						गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
1	मुख्य मार्ग चुंगी नम्बर 1 से चुंगी नं०-2 तक	703	647	1092	75	68	68	67
2	अन्य भूमि	653	594	1019	69	68	68	67

### 4-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रु० में)		1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/ दुकान/ कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)			निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
1	सिताबपुर,	145	139	1634	1430	3780	81	74	68	67
2	मानपुर	140	133	1573	1364	3640	81	74	68	67
3	काशीरामपुर,	121	114	1307	1188	2800	75	68	68	67
4	कालाबड	117	113	1254	1166	2688	75	68	68	67

  
 (अनंद कुमार)  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।

**5-ग्रामीण क्षेत्र पट्टी सुखरौ,तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख ₹० में)		1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (₹० में)	निर्धारित दर (₹० में)					
1	कौड़िया	135	110	1650	1155	2313	69	68	68	67
2	शिबूनगर,	133	109	1540	1155	2313	69	68	68	67
3	पदमपुर,	132	105	1485	1100	2240	69	68	68	67
4	बलभद्रपुर, बालासौड	99	88	1106	913	1814	69	68	68	67
5	रतनपुर, हरसिंहपुर	97	86	1089	913	1814	69	68	68	67
6	सिमलचौड	116	99	1430	1155	2352	69	68	68	67
7	शिवपुर	110	88	1426	1062	2184	69	68	68	67
8	धुव्रपुर,	86	66	946	759	2100	69	68	68	67
9	लालपुर	59	45	715	506	1400	69	68	68	67

**6-ग्रामीण क्षेत्र पट्टी सनेह,तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख ₹० में)		1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दरें	निर्धारित दर	निर्धारित दर (₹० में)	निर्धारित दर (₹० में)					
1	ग्रास्टनगंज, कोटद्वार गांव, रतनपुर,, कुम्भीचौड, जीतपुर	49	42	621	449	1568	56	50	50	49
2	विशानपुर, नाथूपुर, लालपानी पल्ली,	40	36	459	378	1210	56	50	50	49
3	रामपुर, कोटडीढांग, सनेह तल्ली, सनेह मली, लालपानी वल्ली,	38	32	443	367	1019	56	50	50	49

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पोड़ी गढ़वाल।


7-ग्रामीण क्षेत्र पट्टी मोटाढाक, तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)		1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल	
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)			निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
1	दुर्गापुर, धमण्डपुर, पदमपुर, निम्बूचौड	80	74	936	809	1904	69	68	68	67	
2	जीवानंदपुर, शिवराजपुर, खूनीबड, देवरामपुर	65	61	759	655	1568	69	68	68	67	
3	मावाकोट, नंदपुर,	63	58.25	732	627	1512	68	66	66	65	
4	हल्दूखाता तल्ला, पूर्वी झण्डीचौड	सिंचित	54	50	616	517	1490	68	66	66	65
		असिंचित	39	35							
5	भीमसिंहपुर, उदयरामपुर, नयाबाद, त्रिलोकपुर,--	सिंचित	47.25	42	495	451	1310	68	66	66	65
		असिंचित	33	31							
6	सतीचौड	सिंचित	45	41	528	473	1232	68	66	66	65
		असिंचित	32	30							
7	गोरखपुर,	47.25	44	517	451	1232	68	66	66	65	
8	कोठला,	46	43	561	506	1232					
9	चौकीघाटा	सिंचित	44	40	517	451	1232	68	66	66	65
		असिंचित	31	29							

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

8-ग्रामीण क्षेत्र पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/ दुकान/ कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)					
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल			
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)						निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०										
1	हल्दूखाता मल्ला, किशनपुर, जशोधरपुर, मगनपुर	68	42	61	39	715	616	1512	52	45	45	44			
2	श्रीरामपुर, रामदयालपुर, जयदेवपुर, लोकमणीपुर	61	42	55	39	660	550	1456	52	45	45	44			
3	दलीपपुर, भवानीपुर, गंदारियाखाल, मनदेवपुर	58.25	39	53	36.25	655	550	1456	52	45	45	44			
4	उ०झण्डीचौड, प० झण्डीचौड, उमरावपुर, तेड़ीवाडा	58.25	37.25	48.25	34	649	528	1400	52	45	45	44			
5	बालागंज, लूथापुर, लक्षमपुर, मानपुर, कलमगंज	58.25	36.25	47.25	33	644	517	1400	40	34	34	33			
6	भुवदेवपुर	55	35	45	33	561	495	1120	40	34	34	33			
7	पट्टी हल्दूखाता के अन्य ग्रामों की भूमि	54	36.25	44	33	550	484	1064	40	34	34	33			

  
 ( संजय कुमार )  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।




**9-ग्रामीण क्षेत्र पट्टी-सीला (तल्ला सलाण) तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)					
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल			
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)						निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०										
1	ग्राम आमसौड, ऐता, फतेहपुर, गोदीबड़ी व छोटी की समस्त भूमि	19.25	17.25	17.25	16	248	216	700	35	29	29	23			
2	विशिष्ट ग्राम भेल्डा बड़ा	19.25	17.25	13	09	254	143	672	29	29	29	23			
3	पट्टी-सीला के अन्य ग्राम	18	16	09	07	194	82	448	29	23	23	23			

**10-विशिष्ट ग्राम-ग्रामीण क्षेत्र, परगना गंगासलाण तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)					
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल			
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)						निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०										
1	विशिष्ट ग्राम गूम (पौखाल), डाडामंडी, पटूड अकरा, ग्राम कलौडी	30	28	21	19.25	346	335	1020	40	34	34	33			
2	ग्राम बौठा, बिरमोली, ज्वाड, ग्राम कटूड, बिरमोली खाल	28	26.25	24	18.25	335	324	952	35	29	29	28			

  
 ( संजय कुमार )  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढवाल।

11-विशिष्ट ग्राम-ग्रामीण क्षेत्र, परगना गंगासलाण एवं तल्ला सलाण तहसील कोटद्वार की निर्धारित दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल	
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)			निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०								
1	ग्राम नाली बडी, छोटी, ग्राम बडोली, अजमेर वल्ला की भूमि	5.25	04	04	3.25	81	76	202	35	29	29	28	
2	नालीखाल, नाथूखाल, भवासी, गवयीपुल,रामडी वल्ली,	18.25	15	15	13	259	227	347	40	34	34	33	
3	कोटद्वार से रामागांव मार्ग पर स्थित ग्राम	19.25	09	18	08	259	227	347	40	34	34	33	
4	परगना गंगासलाण एवं तल्ला सलाण के अन्य ग्राम	5.25	04	05	3.25	162	73	280	35	29	29	28	

तहसील यमकेश्वर

1-महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्राम-ग्रामीण क्षेत्र, परगना गंगासलाण तहसील यमकेश्वर की निर्धारित दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रू० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल	
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)			निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)	निर्धारित दर (रू० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०								
1	महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्राम जौक, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला, पट्टी उदयपुर तल्ला की भूमि	213	202	190	179	3360	2800	6160	92	90	90	83	
2	ग्राम मराल (घटदूगाड) ग्राम मौन वल्ला, मौन पल्ला, जोगीयाणा, पुण्डरासू, (नीलकंठ) कोठार पट्टी उदयपुर तल्ला की भूमि	28	21.25	19	18	347	291	1344	53	52	46	45	

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढवाल।

**2-विशिष्ट ग्राम-ग्रामीण क्षेत्र, परगना गंगासलाण तहसील यमकेश्वर की निर्धारित दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रति हेक्टेयर दरें (लाख रु० में)				1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)					
		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि		सड़क से 150 मी० से दूर वाली भूमि		सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल			
		निर्धारित दर		निर्धारित दर		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)						निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)
		सि०	असि०	सि०	असि०										
1	विशिष्ट ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, गंगाभोगपुर मल्ला	8.25	7	7	5.25	140	123	280	36	29	29	28			
2	विशिष्ट ग्राम काण्डी, पटटी उदयपुर की भूमि	31	30	22.25	20	364	342	1098	40	35	35	35			
3	ग्राम विथ्याणी	19	16	16	13	263	235	342	40	34	34	34			
4	परगना गंगासलाण एवं तल्ला सलाण एवं तहसील यमकेश्वर के अन्य ग्राम	6	4	5.25	3.25	162	73	274	35	29	29	28			

**महत्वपूर्ण निर्देश**

1. इस सूची में वर्णित किसी भी क्षेत्र के सड़क पर पड़ने वाले किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क की दरें ही प्रभावी होंगी।
2. एक हजार वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण पर अकृषित भूमि की दरें लागू होंगी। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर कृषि उद्देश्य से क्य की गयी भूमि के अन्तरण पर ही कृषि की हेक्टेयर दरें लागू होंगी।
3. सड़क/रास्ता का तात्पर्य 15 फीट या उससे चौड़ी सड़क/रास्ता से है।
4. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क/रास्ता की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
5. खसरा नम्बरों की सड़क से दूरी का विवरण सर्किल रेट सूची में अन्त में दिया गया है तथा सूची में सड़क से दर्शायी गयी खसरा नम्बरों/खेतों की दूरी के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा।

6. भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने तथ्य:-


**(क) भूमि की स्थिति में:-**

(अ) भूमि का वर्गीकरण।

(आ) सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता।

(इ) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी।

(ई) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति।

  
 (अनूप कुमार)  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।

**(ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-**

(अ) भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत।

(आ) मजदूरी प्रभार।

(इ) निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य हास।

**(ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-**

(अ) परिक्षेत्र में विद्यमान किराया।

(आ) परिक्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप।

**7. गैर वाणिज्यिक भवनों की दर निम्नवत् होगी:-**

(i) उत्तम श्रेणी (ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स वाले भवन)। रू0 7200.00 प्रति वर्ग मीटर।

(ii) साधारण श्रेणी। रू0 6690.00 प्रति वर्ग मीटर।

(iii) पठाल (मिट्टी, पत्थर से चुने दीवार वाले भवन, टीनपोश वाले आवासीय भवन) रू0 4600.00 प्रति वर्ग मीटर।

(iv) टीनपोश (गैर वाणिज्यिक एवं अनावासीय) गौशाला रू0 3450.00 प्रति वर्ग मीटर।

8. बहुमंजिला आवासीय भवनों जो कि फ्लैट्स ऐक्ट, 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं में निर्माण की दरें 9000.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

9. बहुमंजिला आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की छूट होगी।

10- भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन करना होगा तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(1) स्वीकृत मानचित्रकार/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।

(2) भूखण्ड का क्षेत्रफल।

(3) निर्माण का प्रकार व वर्ष।

(4) निर्मित क्षेत्रफल।

11 टीन पोश, गौशाला, पठालू में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों तक मान्य होगा।

12 बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40% 50% तथा 60% की छूट होगी।


13 बहुखण्डीय व्यापारिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर क्रमशः 10% 20 % तथा 30 % की छूट होगी।

14 बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईज प्लोर पर भूतल के समान/निर्धारित दरें लागू होंगी।

15 व्यसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X 300+ भूखण्ड का सर्किल दर से व्यवसायिक मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।

16 शासनादेश के अनुरूप विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वांछित धोषणा पत्र/प्रपत्र पक्षकार द्वारा दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।

17 मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये, उन भवनों से है जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है।

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

- 18 कृषि भूमि की असिंचित दरें 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि (हैक्टेयर दरों) पर लागू होगी।
- 19 यदि कोई भूमि दो या दो से अधिक मार्गों के मध्य स्थित हो तो ऐसी दशा में जिस मार्ग का मूल्य अधिक होगा उसी के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 20 किसी विशिष्ट प्रयोजन/संस्था/औद्योगिक संस्था/समिति/कम्पनी आदि हेतु उस क्षेत्र की प्रचलित दर के अनुसार ही स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क देय होगा।
- 21 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुपालन में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पक्षकारों से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या किसी लोक अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अभिलेख को मांग सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है।
- 22 सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
- 23 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर-वाणिज्यिक (Depreciation) भवनों में क्षरण संलग्न इंडेक्स के अनुसार होगा।
24. वाणिज्यिक भवनों से तात्पर्य है:- (i) दुकान (ii) रेस्टोरेंट (iii) कार्यालय (iv) गोदाम (v) होटल (vi) गेस्ट हाउस (vii) बारात घर (viii) सिनेमा हॉल (ix) पेट्रोल पम्प (x) अस्पताल (xi) साइबर कैफे (xii) फैक्ट्री (xiii) व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो।
25. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर वाणिज्यिक भवनों में क्षरण (Depreciation) निम्नानुसार इंडेक्स के अनुसार होगा:-

$$\text{निर्माण मूल्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचरित सूत्र } D=P \left( \frac{100 - RD}{100} \right)^N$$

RD-भवन की औसत आयु, D हास मूल्य (Depreciated Value, P वर्तमान मूल्य, N-कितने वर्ष पुराना

1 Yrs	0.990	26	0.770	51	0.598	76	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392


( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

नोट— क्षरण की उक्त सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानकर किया गया है।

स्थान पौड़ी

दिनांक 31.10.2011





( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

## तहसील श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII(9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-255/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इस तहसील हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक प्रभावी होंगी। इस सर्किल रेट का सम्पूर्ण विवरण एन0आई0सी0 पौड़ी की वेबसाईट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी/  
जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।


  
( एम0सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

॥ कार्यालय कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्रांक 1026 /5-2-स्टाम्प/2011-13, दिनांक, पौड़ी, मार्च, 31, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
4. उप जिलाधिकारी, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. उप निबन्धक, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
6. तहसीलदार, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
7. कार्यालय प्रति।


  
( एम0सी0 उप्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून 2011, शासन के पत्र संख्या-682/2011/XXVII (9)/स्टाम्प, 80/2009, दिनांक 01 नवम्बर 2011 क क्रम में महा निरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1018/म0नि0/2011-12 दिनांक 09 मार्च 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-255/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31.10.2009 को संशोधित करते हुए इस तहसील हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। जो शासनादेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।

### तहसील श्रीनगर

#### 1-शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद की दरें।

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क के दोनो ओर 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 51 से 100 मी० तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 101 से 200 मी० तक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनो ओर 200 मी० से अधिक आवासीय दर (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायिक दर (प्रतिवर्ग मी०)	रेस्टोरेंट/दुकान/ कार्यालय (प्रतिवर्ग मीटर किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान(प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
1	गणेश बाजार, कालारोड, गोला बाजार, बद्दीनाथ मार्ग, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग, अपर बाजार।	3780	3326	2839	2311	3780	84	74	68	67
2	कोठड भलगांव, गुरुद्वारा रोड, पेट्रोल पम्प, एजेन्सी मोहल्ला, निरंजनीबाग।	3780	3326	2839	2311	3780	84	74	68	67
3	पुराना श्रीनगर, उत्तमसिंह वाला, श्रीनगर ऋषिकेश मोटर मार्ग, पीपलचौरी से श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग, पीपलचौरी से पराग डेरी गेट तक नगर पालिका सीमा अन्दर बुधाणी मोटर मार्ग, पौड़ी चुंगी से ग्राम की आखिरी सीमा तक।	3780	3326	2839	2311	3780	84	74	68	67
4	ग्राम भलगांव, नर्सरी रोड, कंसमर्दनी मार्ग, रामलीला मैदान, बहुगुणा मार्ग	2873	2660	2111	1751	2873	84	74	68	67
5	कोटचुला, सुनारगांव, बुधाणीरोड, डाक बंगला मोहल्ला, जी०आई०सी० रोड।	2873	2661	2111	1751	2873	84	74	68	67

  
 (संजय कुमार)  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।



2-विशिष्ट ग्राम अर्द्धशहरी क्षेत्र, तहसील श्रीनगर की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सड़क से दोनों ओर 50 मीटर तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनों ओर 51 से 100 मी० तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनों ओर 101 से 200 मी० तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनों ओर 201 से 400 मी० तक (प्रतिवर्ग मी०)	सड़क से दोनों ओर 400 मी० से अधिक तक (प्रतिवर्ग मी०)	व्यवसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
1	उफल्डा, डांगऐठाणा, श्रीकोट गंगानाली, काण्डई, फतेहपुर रेती, पराग डेयरी, हल्का वाहन मोटर मार्ग, रेवड़ी।	2042	1879	1573	1430	1337	2079	75	68	68	67
2	नकोट, रावतस्यू, वैधगांव व इडवालस्यू, स्वीत।	979	831	688	550	413	997	69	63	63	62
3	खण्डाह, बछेली, कलियासौड, डुंग्रीपथ, भट्टीसेरा, श्रीनगर-पौड़ी-टिहरी-मुरादाबाद, मोटर मार्ग, ऋषिकेश बंदीनार्थ मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम।	350	317	262	198	194	385	58	52	52	51
4	ग्रामीण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम देहलचौरी, ग्वाडखिसू पोखरी।	304	264	190	158	127	335	58	52	52	51
5	उपरोक्त वर्गीकृत श्रेणियों के अलावा अन्य किसी भी मोटर मार्ग पर स्थित भूमि।	353	209	177	127	95	269	41	41	41	40

3-ग्रामीण क्षेत्र तहसील श्रीनगर की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	प्रस्तावित दरें प्रति वर्ग मीटर 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के लिए	व्यवसायिक दर (प्रतिवर्ग मी०)	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	निर्धारित दर (रु० में)	गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
	ग्रामीण क्षेत्र	621000	496800	63	71	24	18	18	17

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

### महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस सूची में वर्णित किसी भी क्षेत्र के सड़क पर पड़ने वाले किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क की दरें ही प्रभावी होंगी।
2. एक हजार वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण पर अकृषित भूमि की दरें लागू होंगी। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर कृषि उद्देश्य से कय की गयी भूमि के अन्तरण पर ही कृषि की हेक्टर दरें लागू होंगी।
3. सड़क/रास्ता का तात्पर्य 15 फीट या उससे चौड़ी सड़क/रास्ता से है।
4. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क/रास्ता की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
5. खसरा नम्बरों की सड़क से दूरी का विवरण सर्किल रेट सूची में अन्त में दिया गया है तथा सूची में सड़क से दर्शायी गयी खसरा नम्बरों/खेतों की दूरी के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा।
6. भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने तथ्यः—
  - (क) भूमि की स्थिति में—
    - (अ) भूमि का वर्गीकरण।
    - (आ) सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता।
    - (इ) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी।
    - (ई) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति।
  - (ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में—
    - (अ) भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत।
    - (आ) मजदूरी प्रभार।
    - (इ) निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास।
  - (ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में—
    - (अ) परिक्षेत्र में विद्यमान किराया।
    - (आ) परिक्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप।
7. गैर वाणिज्यिक भवनों की दर निम्नवत् होगीः—
  - (i) उत्तम श्रेणी (ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स वाले भवन) । रू0 7200.00 प्रति वर्ग मीटर।
  - (ii) साधारण श्रेणी । रू0 6690.00 प्रति वर्ग मीटर।
  - (iii) पटालू ( मिट्टी, पत्थर से चुने दीवार वाले भवन, टीनपोश वाले आवासीय भवन रू0 4600.00 प्रति वर्ग मीटर।
  - (iv) टीनपोश (गैर वाणिज्यिक एवं अनावासीय) गौशाला रू0 3450.00 प्रति वर्ग मीटर।
8. बहुमंजिला आवासीय भवनों जो कि फ्लैट्स ऐक्ट, 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं में निर्माण की दरें रू0 9000.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

( संजय कुमार )  
अधिसूचना अधिकारी,  
फौजी गढ़वाल।

9. बहुमंजिला आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की छूट होगी।
- 10- भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन करना होगा तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (1) स्वीकृत मानचित्रकार/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।
  - (2) भूखण्ड का क्षेत्रफल।
  - (3) निर्माण का प्रकार व वर्ष।
  - (4) निर्मित क्षेत्रफल।
11. टीन पोश, गौशाला, पठालू में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों तक मान्य होगा।
12. बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40% 50% तथा 60% की छूट होगी।
13. बहुखण्डीय व्यापारिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर क्रमशः 10% 20 % तथा 30 % की छूट होगी।
14. बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होगी तथा लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईज प्लोर पर भूतल के समान/निर्धारित दरें लागू होगी।
15. व्यसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X 300+ भूखण्ड का सर्किल दर से व्यवसायिक मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।
16. शासनादेश के अनुरूप विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वांछित धोषणा पत्र/प्रपत्र पक्षकार द्वारा दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।
17. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये, उन भवनों से है जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है।
18. कृषि भूमि की असिंचित दरें 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि (हैक्टेयर दरों) पर लागू होगी।
19. यदि कोई भूमि दो या दो से अधिक मार्गों के मध्य स्थित हो तो ऐसी दशा में जिस मार्ग का मूल्य अधिक होगा उसी के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
20. किसी विशिष्ट प्रयोजन/संस्था/औद्योगिक संस्था/समिति/कम्पनी आदि हेतु उस क्षेत्र की प्रचलित दर के अनुसार ही स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क देय होगा।
21. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुपालन में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पक्षकारों से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या किसी लोक अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अभिलेख को मांग सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है।
22. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
23. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर-वाणिज्यिक (Depreciation) भवनों में क्षरण संलग्न इंडेक्स के अनुसार होगा।
24. वाणिज्यिक भवनों से तात्पर्य है:- (i) दुकान (ii) रेस्टोरेंट (iii) कार्यालय (iv) गोदाम (v) होटल (vi) गेस्ट हाउस (vii) बारात घर (viii) सिनेमा हाल (ix) पेट्रोल पम्प (x) अस्पताल (xi) साइवर कैफे (xii) फैंक्ट्री (xiii) व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो।
25. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर वाणिज्यिक भवनों में क्षरण (Depreciation) निम्नानुसार इंडेक्स के अनुसार होगा:-

$$\text{निर्माण मूल्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचरित सूत्र } D=P \left( \frac{100 - RD}{100} \right)^N$$

(सजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।


RD-भवन की औसत आयु, D हास मूल्य (Depreciated Value, P वर्तमान मूल्य, N-कितने वर्ष पुराना

1 Yrs	0.990	26	0.770	51	0.598	76	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

नोट- क्षरण की उक्त सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानकर किया गया है।


स्थान पौड़ी


दिनांक 31.03.2012

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

## तहसील लैन्सडौन/धुमाकोट/सतपुली/चौबट्टाखाल थैलीसण (आंशिक) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII(9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील लैन्सडौन, तहसील धुमाकोट/तहसील सतपुली/तहसील चौबट्टाखाल एवं तहसील थैलीसण (आंशिक) हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-256/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक प्रभावी होंगी। इस सर्किल रेट का सम्पूर्ण विवरण एन0आई0सी0 पौड़ी की वेबसाइट [pauri.nic.in](http://pauri.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

  
( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी/  
जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।


  
( एम0 सी0 उप्प्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

॥ कार्यालय कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्रांक 1025/5-2-स्टाम्प/2011-13, दिनांक, पौड़ी, मार्च, 31, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला निबन्धक, पौड़ी जनपद गढ़वाल।
4. उप जिलाधिकारी लैन्सडौन/धुमाकोट/सतपुली/चौबट्टाखाल एवं थैलीसण, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. उप निबन्धक, लैन्सडौन जनपद पौड़ी गढ़वाल।
6. तहसीलदार, लैन्सडौन/धुमाकोट/सतपुली/चौबट्टाखाल एवं थैलीसण, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
7. कार्यालय प्रति।

  
( एम0 सी0 उप्प्रेती )  
कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9, के पत्र संख्या-351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प/2009, देहरादून, दिनांक 24 जून 2011, शासन के पत्र संख्या-682/2011/XXVII (9)/स्टाम्प 80/2009, दिनांक 01 नवम्बर 2011 के क्रम में महा निरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1018/म0नि0/2011-12 दिनांक 09 मार्च 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील लैन्सडौन, तहसील धुमाकोट, थैलीसैण (आंशिक), तहसील चौबटटाखाल, तहसील सतपुली हेतु पूर्व में जारी किये गये सर्किल रेट आदेश संख्या-256/5-2-स्टाम्प/2009-11, दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर, 31, 2009 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की द्विवार्षिक दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती हैं। जो शासनादेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।

उप निबन्धक, लैन्सडौन के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न तहसीलों के सर्किल रेटों का विवरण

### तहसील लैन्सडौन

#### 1-शहरी क्षेत्र छावनी परिषद लैन्सडौन के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गैस्टहाउस/ बारातघर/ सिनेमा हाल/पैट्राल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	कैन्ट छावनी क्षेत्र लैन्सडौन कोर्ट रोड से उपरी भाग से कैन्ट आफिस ई०एम०ई० तक	-	-	1980	1265	2240	64	40	56	39
2	पोस्ट आफिस से पीछे वाली गली, मुख्य बाजार की सड़क	-	-	2079	1320	2380	64	40	56	39
3	डेरियाखाल मोटर मार्ग, गांधीचौक मुख्य मोटर मार्ग	-	-	1980	1265	2240	64	40	56	39
4	गांधीचौक, मयूरसिनेमा, इवर लाईन, डिग्गी लाईन, कैन्ट स्कूल तक	-	-	1980	1265	2240	64	40	56	39
5	कालेश्वर रोड, वकील मोहल्ला रोड, गांधी चौक से सेवायोजन कार्यालय तक	-	-	1980	1265	2240	64	40	56	39

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

**2-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत की दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गैस्टहाउस/ बारातघर/ सिनेमा हाल/ पैट्राल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)			निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	गूमखाल (गूम),चैलूसैण,सिलोगी,देवीखेत, कीर्तिखाल	2783000	2299000	303	198	1417	35	29	34	23
2	जयहरीखाल, जहरी, डेरियाखाल, बाडियू, पालकोट, बिलासू	4840000	4125000	506	369	1568	35	29	34	23
3	सकमुण्डा, पौखाल,	4048000	3025000	440	347	1417	35	29	34	23
4	काण्डानाल	2227500	1930500	253	222	1120	35	29	34	23

**3-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत की दरें (राष्ट्रीय राजमार्ग)**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गैस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पैट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)			निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	भंयासू (देवीखाल से कलमोटिया तक)	2662000	1936000	281	230	1344	40	29	34	28

( संजय कुमार )  
अपर अतिरिक्त अधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

4-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत की दरें (जनपदीय मार्ग)

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान / कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान,(प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
1	सेन्धीखाल से रथुवाढाव तक 2-- डेरियाखाल से घिरोली तक,फौखाल से जाखणीखाल तक,रथुवाढाव से काण्डानाला, रथुवाढाव से दैवियोखाल, लैन्सडौन से गुमखाल तक	27104000	1936000	286	230	1400	29	29	34	23
2	डेरियाखाल से विलंगी तक	28336000	2662000	313	242	1417	29	29	34	23

5-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत की दरें ( लिंक मार्ग )

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान / कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	रिखणीखाल से किलबौखाल, चखुलियाखाल से ताडकेश्वर, सिद्धखाल से कलवाडी, चैलूसैण से देवीखेत, ढौडियाखाल से बिलंगी, बिजोरापानी से कुण्जखाला,रिखणीखाल से खिमासेत, चकुलियाखाल से ताडकेश्वर, खेरा से सिसल्डी, नौगांवखाल से तुनाखात, सिद्धखाल से कलवाडी, चूलूसैण से देवीखेत, तथा अन्य लिंक मार्ग	2094400	1650000	230	176	1159	35	29	34	28

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।



6-तहसील लैन्सडौन के विशिष्ट ग्रामों के अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	(क) सिंचित भूमि	496800	-	56	48	627	29	29	34	23
	(ख) असिंचित भूमि	-	378000	48	45	583	29	29	34	23

तहसील धुमाकोट

1-तहसील धुमाकोट के विशिष्ट ग्रामों के अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	1.सिंचित	496800	-	56	48	627	29	29	34	23
2	2.असिंचित	-	378000	48	45	583	29	29	34	23


( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पीडी गढ़वाल।

**2-तहसील धुमाकोट के अन्तर्गत जनपदीय मार्ग/राष्ट्रीय/लिंक मार्ग की दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर	निर्धारित दर			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	धुमाकोट से खाल्यूडांडा तक, धुमाकोट से मैदावन तक, दिवाडांडा से शंकरपुर तहसील धुमाकोट की सीमा तक, सिमडी से पनास मल्ला तक, गोलीखाल से किनगोडीखाल लिस्टाखेत तक तथा समस्त लिंक मार्ग	2750000	2475000	330	275	1375	34	34	40	23

**3-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील धुमाकोट के अन्तर्गत की दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर	निर्धारित दर			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	पुनोडी, जमुण,	2227500	1930500	253	222	1485	34	34	39	23

  
 ( संजय कुमार )  
 अपर जिलाधिकारी,  
 पौड़ी गढ़वाल।

1-तहरील थैलीरौण के अन्तर्गत जनपदीय मार्ग/राष्ट्रीय/लिक मार्ग की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रूपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रूपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान,(प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	बैजरो से मैठाणा घाट तक, पोखड़ा से बैजरो, बैजरो केनरा, जोगीमढी मार्ग, बीरोखाल-दुनाव मोटर मार्ग तथा सभी लिक मार्ग	2750000	2475000	330	275	1375	40	34	40	28

2-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्रामों के अन्तर्गत की दरें

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रूपये में)	असिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रूपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान,(प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	ग्राम दरिया लगगा सुकई, (बैजरो बाजार) नौगांव, स्यूंसी (स्यूंसी बाजार)	2662000	2189000	266	209	1331	33	28	33	22

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

3-तहसील थैलीसैण के अन्तर्गत बिशिष्ट ग्रामो के अतिरक्त सभी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत की दरें

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	हैक्टर (लाख रुपये में)	हैक्टर (लाख रुपये में)	अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल	
				निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	ग्रामीण क्षेत्र	(क) सिंचित भूमि	496800	-	54	48	550	22	22	28	22
		(ख) अंसिंचित भूमि	-	378000	48	45	550	22	22	28	22

1-तहसील चौबटाखाल के अन्तर्गत जनपदीय मार्ग/राष्ट्रीय/लिक मार्ग की दरें

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	अंसिंचित दर प्रति हैक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)			निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)	निर्धारित दर (रूपये में)
1	पाटीसैण से नौगांवखाल तक, नौगांवखाल से दमदेवल तक, पाटीसैण से मासो, नौगांवखाल से सैधार, चौबटाखाल से दमदेवल समस्त लिक मार्ग	2750000	2475000	330	275	1375	40	33	40	28

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

**2-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील चौबटाखाल के अन्तर्गत की दरें**

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	हेक्टर (लाख रुपये में)	हेक्टर (लाख रुपये में)	अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		प्रतिवर्ग मीटर	/ कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल
				निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)			निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	विशिष्ट ग्राम नौगावखाल, चौबटाखाल, मंजगांव, देवराजखाल, गवाणी, सेडियाखाल, चोपड़ा, पोखड़ा, दमदेवल, किछू, सासौ, मासौ, खिलासू	2750000	2475000	330	275	1375	39	33	39	27

**3-तहसील चौबटाखाल के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामों के अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत की दरें**

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हेक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हेक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यवसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान / कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल	
				निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)			निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	ग्रामीण क्षेत्र	(क) सिंचित भूमि	506000	-	55	48	550	22	22	28	22
		(ख) असिंचित भूमि	-	385000	48	46	550	22	22	28	22

(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

1-तहसील सतपुली के अन्तर्गत जनपदीय मार्ग /राष्ट्रीय/लिक मार्ग की दरें

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	हेक्टर	हेक्टर	अन्तरण के लिए निर्धारित दरें		प्रतिवर्ग मीटर	/कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	गुन्खाल से दोसाल, सतपुली से भटवाडी, बबीना से वड्डा, सतपुली से झणदादेवी, झांडा भल्ला से मनपुर, सतपुली से बांधाट, संतूधार से मासौ, तथा सभी लिक मोटर मार्ग	2750000	2475000	330	275	1375	39	33	39	27

2-ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट ग्राम तहसील सतपुली के अन्तर्गत की दरें

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	असिचित दर प्रति हेक्टर	असिचित दर प्रति हेक्टर	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें		व्यवसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)		
		(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)	सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/सिनेमा हाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरजन स्थल
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)
1	सतपुलीसैण	10956000	10560000	1122	858	1650	44	33	44	32
2	द्वारीखाल, ग्वीलबडा, अमोठा, एकेश्वर, रीठाखाल, संगलोकोटी, मैटाकुण्ड, बौंसाल, वड्डा, खैरासैण, पाटीसैण	2662000	2189000	266	209	1331	33	28	33	21

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

**3-तहसील सतपुली के अन्तर्गत बिशिष्ट ग्रामो के अतिरक्त सभी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत की दरें**

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	सिंचित दर प्रति हेक्टर (लाख रुपये में)	असिंचित दर प्रति हेक्टर (लाख रुपये में)	1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (प्रतिवर्ग मी०)		व्यसायिक दर प्रतिवर्ग मीटर	रेस्टोरेंट/दुकान /कार्यालय की दर (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान (प्रतिवर्ग मी० किराये की दर)			
				सड़क से 150 मी० के अन्तर्गत आने वाली भूमि	सड़क से 150 मी० से दूर पड़ने वाली भूमि			गोदाम	होटल/गैस्टहाउस/ बारातघर/ सिनेमा हाल/ पैट्राल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल	
				निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)			निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्धारित दर (रुपये में)	
1	ग्रामीण क्षेत्र	(क) सिंचित भूमि	506000	-	55	48	550	22	22	28	21
		(ख) असिंचित भूमि	-	385000	48	46	550	22	22	28	21

**महत्वपूर्ण निर्देश**

1. इस सूची में वर्णित किसी भी क्षेत्र के सड़क पर पड़ने वाले किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क की दरें ही प्रभावी होंगी।
2. एक हजार वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण पर अकृषित भूमि की दरें लागू होंगी। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर कृषि उद्देश्य से क्य की गयी भूमि के अन्तरण पर ही कृषि की हेक्टर दरें लागू होंगी।
3. सड़क/रास्ता का तात्पर्य 15 फीट या उससे चौड़ी सड़क/रास्ता से है।
4. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क/रास्ता की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
5. खसरा नम्बरों की सड़क से दूरी का विवरण सर्किल रेट सूची में अन्त में दिया गया है तथा सूची में सड़क से दर्शायी गयी खसरा नम्बरों/खेतों की दूरी के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा।

6. भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने तथ्य:-

(क) भूमि की स्थिति में:-

(अ) भूमि का वर्गीकरण।

(आ) सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता।

(इ) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी।

(ई) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति।

(ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-

(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

(अ) भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत।

(आ) मजदूरी प्रभार।

(इ) निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास।

(ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में:-

(अ) परिक्षेत्र में विद्यमान किराया।

(आ) परिक्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप।

7. गैर वाणिज्यिक भवनों की दर निम्नवत् होगी:-

(i) उत्तम श्रेणी (ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स वाले भवन)।

रु0 7200.00 प्रति वर्ग मीटर।

(ii) साधारण श्रेणी।

रु0 6690.00 प्रति वर्ग मीटर।

(iii) पठाल ( मिट्टी, पत्थर से चुने दीवार वाले भवन, टीनपोश वाले आवासीय भवन रु0 4600.00 प्रति वर्ग मीटर।

(iv) टीनपोश (गैर वाणिज्यिक एवं अनावासीय) गौशाला

रु0 3450.00 प्रति वर्ग मीटर।

8. बहुमंजिला आवासीय भवनों जो कि फ्लैट्स ऐक्ट, 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं में निर्माण की दरें 9000.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

9. बहुमंजिला आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की छूट होगी।

10- भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन करना होगा तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(1) स्वीकृत मानचित्रकार/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।

(2) भूखण्ड का क्षेत्रफल।

(3) निर्माण का प्रकार व वर्ष।

(4) निर्मित क्षेत्रफल।

11 टीन पोश, गौशाला, पठालू में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों तक मान्य होगा।

12 बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40% 50% तथा 60% की छूट होगी।

13 बहुखण्डीय व्यापारिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर क्रमशः 10% 20 % तथा 30 % की छूट होगी।

14 बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईज प्लोर पर भूतल के समान/निर्धारित दरें लागू होंगी।

15 व्यापारिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X 300+ भूखण्ड का सर्किल दर से व्यवसायिक मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।

16 शासनादेश के अनुरूप विकीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वांछित धोषणा पत्र/प्रपत्र पक्षकार द्वारा दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।

17 मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये, उन भवनों से है जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है।

18 कृषि भूमि की असिंचित दरें 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि (हैक्टेयर दरों) पर लागू होंगी।

(संजय कुमार)  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।



- 19 यदि कोई भूमि दो या दो से अधिक मार्गों के मध्य स्थित हो तो ऐसी दशा में जिस मार्ग का मूल्य अधिक होगा उसी के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 20 किसी विशिष्ट प्रयोजन/संस्था/औद्योगिक संस्था/समिति/कम्पनी आदि हेतु उस क्षेत्र की प्रचलित दर के अनुसार ही स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क देय होगा।
- 21 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुपालन में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पक्षकारों से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या किसी लोक अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अभिलेख को मांग सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है।
- 22 सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
- 23 स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर-वाणिज्यिक (Depreciation) भवनों में क्षरण संलग्न इंडेक्स के अनुसार होगा।
24. वाणिज्यिक भवनों से तात्पर्य है:- (i) दुकान (ii) रेस्टोरेंट (iii) कार्यालय (iv) गोदाम (v) होटल (vi) गेस्ट हाउस (vii) बारात घर (viii) सिनेमा हाल (ix) पेट्रोल पम्प (x) अस्पताल (xi) साइवर कैफे (xii) फैक्ट्री (xiii) व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो।
25. स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार गैर वाणिज्यिक भवनों में क्षरण (Depreciation) निम्नानुसार इंडेक्स के अनुसार होगा:-

$$\text{निर्माण मूल्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचरित सूत्र } D=P \left( \frac{100 - RD}{100} \right)^N$$

RD-भवन की औसत आयु, D हास मूल्य (Depreciated Value, P वर्तमान मूल्य, N-कितने वर्ष पुराना

1 Yrs	0.990	26	0.770	51	0.598	76	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392

(सुनील कुमार)  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

नोट- क्षरण की उक्त सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानकर किया गया है।

स्थान पौड़ी

दिनांक 31.03.2012



( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।

( संजय कुमार )  
अपर जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढ़वाल।